श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY
(केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(बी-4 कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016)

एफ.1 (83)/ला.बा.शा.रा.सं.वि./सा.प्र./2023-24/675 दिनांक : 31.07.2025

अधिसूचना/ Notification

वाहनों के प्रवेश व पार्किंग से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी की गयी अधिसूचना संख्या एफ.1(83)/ला.बा.शा.रा.सं.वि./सा.प्र./2023-2024/122 दिनांक 24.04.2025 के निरंतर में परिसर की सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी प्रकार के निजी वाहनों के आवागमन एवं पार्किंग व्यवस्था के सुचारु सञ्चालन के लिए, वाहन स्टीकर (स्थायी/ अस्थायी) जारी किए जायेंगे |

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिसर के निम्नलिखित वर्गों को वाहन स्टीकर, सशर्त जारी किये जायेंगे:-

क्र.सं.	विवरण	स्टीकर का प्रकार
1.	समस्त शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कर्मचारी (स्थायी)	स्थायी वाहन स्टीकर
2.	समस्त शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कर्मचारी (अनुबंध/ संविदा/ अतिथि शिक्षक इत्यादि)	अस्थायी वाहन स्टीकर
3.	छात्रों के लिए	अस्थायी वाहन स्टीकर

वाहन स्टीकर को जारी करने के नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार से है :-

1. **शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक वर्ग (स्थायी)**:- समस्त शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक वर्ग को केवल स्वयं अथवा विश्वविद्यालय अभिलेख में दर्ज आश्रितों के नाम पर पंजीकृत वाहन (दो पहिया/ चार पहिया) के लिए स्थायी वाहन स्टीकर जारी किया जायेगा, जिसके लिए वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र व आई-कार्ड की प्रति (स्वयं सत्यापित) एवं विश्वविद्यालय वाहन स्टीकर फॉर्म, सामान्य प्रशासन अनुभाग में जमा करना होगा |

2. शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक वर्ग (अनुबंध/ संविदा/ अतिथि शिक्षक इत्यादि) :- समस्त शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक वर्ग (अनुबंध/ संविदा/ अतिथि शिक्षक इत्यादि) को केवल स्वयं अथवा परिवार की परिधि में आने वाले सदस्यों (only blood relation) के नाम पर पंजीकृत वाहन (दो पहिया/ चार पहिया) के लिए अस्थायी वाहन स्टीकर जारी किया जायेगा जिसकी अवधि ऐसे कर्मचारियों की संविदा की समाप्ति की तिथि अथवा एक वर्ष (जो भी पहले हो) के आधार पर होगी | अस्थायी वाहन स्टीकर के लिए वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति एवं विश्वविद्यालय **वाहन स्टीकर फॉर्म सामान्य प्रशासन विभाग में जमा करना होगा | आवेदक को परिवार के सदस्य के नाम पर वाहन पंजीकृत होने की स्थिति में सदस्य के आधार कार्ड की प्रति वाहन स्टीकर प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा |**

3. छात्रों के लिए :- समस्त छात्र-छात्राओं को स्वयं अथवा परिवार की परिधि में आने वाले सदस्यों (only blood relation) के नाम पर पंजीकृत वाहन (दो पहिया / चार पहिया) के लिए अस्थायी वाहन स्टीकर जारी किया जायेगा जिसकी अवधि एक वर्ष अथवा सत्र की समाप्ति की तिथि के आधार पर होगी |

अस्थायी वाहन स्टीकर के लिए वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति एवं विश्वविद्यालय वाहन स्टीकर फॉर्म को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से सत्यापित करवाने के पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग में जमा करना होगा। छात्रों को अस्थायी वाहन स्टीकर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र के शुरू होने पर ही जारी किये जायेंगे। आवेदक को परिवार के सदस्य के नाम पर वाहन पंजीकृत होने की स्थिति में सदस्य के आधार कार्ड की प्रति वाहन स्टीकर प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों व छात्र-छात्राओं को यह सूचित किया जाता है कि वाहन स्टीकर प्राप्त करने हेतु विश्विद्यालय वाहन स्टीकर फॉर्म के साथ वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (Vehicle Registration Certificate (RC)) की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि तथा आधार कार्ड की प्रति (यदि लागू हो) संलग्न कर सामान्य प्रशासन विभाग में दिनांक 22.08.2025 तक जमा करवाने का कष्ट करें।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी की जा रही है।

संलग्नः- वाहन स्टीकर प्रपत्र

(भारती त्रिपाठी)
सहायक कुलसचिव (सा.प्र.)

प्रतिलिपि:-

1. समस्त पीठाध्यक्ष एवं अध्यापकगण को सूचनार्थ।
2. कुलानुशासक/ जन संपर्क अधिकारी
3. विशेष कार्याधिकारी (कुलपति)
4. संगणक प्रमुख को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को वाहन स्टीकर फॉर्म के साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को Whatsapp एवं SMS के माध्यम से सूचित करने हेतु अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करें।
5. निजी सचिव- कुलपति/कुलसचिव/वित्ताधिकारी/परीक्षा नियंत्रक
6. **सभी शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक, अनुबन्धित कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं से आग्रह है कि वाहन स्टीकर फॉर्म को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करें।**
7. समस्त सूचना पट्ट – छात्रों हेतु सूचनार्थ।
8. सम्बंधित पत्रावली।

भारती त्रिपाठी

(भारती त्रिपाठी)
सहायक कुलसचिव (सा.प्र.)

for n.a.ph.

Sh. Sachin

31/07/25

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY
A Central University established by an Act of Parliament
(Formerly Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Deemed to be University)

फोटो
(स्वयं सत्यापित)

वाहन प्रवेश स्टीकर के लिए प्रपत्र
(शैक्षणिक एवं गैर- शैक्षणिक कार्मिकों के लिए)

1. कर्मचारी का नाम : ....
2. धारित पद : ....
3. वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या : ....
4. वाहन का प्रकार : ....
   (दो पहिया / चार पहिया)
5. वाहन पंजीकृत व्यक्ति का नाम : ....
6. कर्मचारी से संबंध : ....
   (details of proof enclosed)
7. सेवानिवृत्ति/ अनुबंध समाप्ति की तिथि : ....
8. विभाग/ अनुभाग/ संकाय : ....

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे दिए भरे गए उपरोक्त विवरण सत्य है तथा किसी भी प्रकार की अनधिकृत/ अवांछित गतिविधि में मेरे पंजीकृत वाहन की संलिप्तता पाए जाने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

(कर्मचारी के हस्ताक्षर)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि	वाहन प्रवेश स्टीकर का प्रकार	वाहन प्रवेश स्टीकर संख्या	वैधता तिथि (if temporary)	टिप्पणी
	स्थायी (Permanent)			
	अस्थायी (Temporary)			

वाहन प्रवेश स्टीकर जारी किया जा सकता है।

संबंधित सहायक (सा.प्र)　　　　अनुभाग अधिकारी (सा.प्र)　　　　सहायक कुलसचिव (सा.प्र)

टिप्पणी :-

1. वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Certificate), परिचय पत्र एवं आधार कार्ड (यदि लागू हो) की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. प्रत्येक वाहन स्टिकर के लिए अलग प्रपत्र भरना अनिवार्य है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY
A Central University established by an Act of Parliament
(Formerly Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Deemed to be University)

फोटो
(स्वयं सत्यापित)

वाहन प्रवेश स्टीकर के लिए प्रपत्र
(छात्रों के लिए)

1. छात्र/ छात्रा का नाम : ____________________
2. वाहन पंजीकृत व्यक्ति का नाम : ____________________
3. वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या : ____________________
4. वाहन का प्रकार : ____________________
   (दो पहिया / चार पहिया)
5. छात्र / छात्रा से संबंध : ____________________
   (details of proof enclosed)
6. आधार कार्ड संख्या : ____________________
   (कार्ड की प्रति संलग्न करें)
7. पाठ्यक्रम : ____________________
8. पाठ्यक्रम वर्ष : ____________________
9. नामांकन संख्या : ____________________

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे दिए भरे गए उपरोक्त विवरण सत्य है तथा किसी भी प्रकार की अनधिकृत/ अवांछित गतिविधि में मेरे पंजीकृत वाहन की संलिप्तता पाए जाने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

(छात्र/ छात्रा के हस्ताक्षर)

वाहन प्रवेश स्टीकर प्रपत्र संकाय प्रमुख / विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।

(संकाय प्रमुख / विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि	वाहन प्रवेश स्टीकर का प्रकार	वाहन प्रवेश स्टीकर संख्या	वैधता तिथि (if temporary)	टिपण्णी
	स्थायी (Permanent)			
	अस्थायी (Temporary)			

वाहन प्रवेश स्टीकर जारी किया जा सकता है।

संबंधित सहायक (सा.प्र.)   अनुभाग अधिकारी (सा.प्र)   सहायक कुलसचिव (सा.प्र)

टिपण्णी :-

1. वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Certificate), परिचय पत्र एवं आधार कार्ड (यदि लागू हो) की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. प्रत्येक वाहन स्टिकर के लिए अलग प्रपत्र भरना अनिवार्य है।